रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 3, 1970/श्रावण 12, 1892
No. 277] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 3, 1970/SRAVANA 12, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August 1970

S.O. 2608.—In exercise of the powers conferred by section 2 of the Foreign Awards (Recognition and Enforcement) Act, 1961 (45 of 1961), the Central Government, being satisfied that reciprocal provisions have been made, hereby declare France to be a territory to which the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, set forth in the Schedule to that Act, applies for the purposes of any award of the nature referred to in that section, made on or after the 11th day of October, 1960.

[No. F. 18(6)/70-P&P.]

A. C. BANERJEE, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1970

का० आ० 2608.—विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 (1961 का 45) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि व्यतिकारी उपबन्ध कर दिए गए हैं, एतद्द्वारा फ्रांस को ऐसा राज्यक्षेत्र घोषित करती है जिसको,

उस अधिनियम की अनुसूची में उपवर्णित विदेशी माध्यस्थम पंचाटों की मान्यता और प्रवर्तन विषयक अभिसमय 1960 की अक्टूबर के 11 वे दिन को या के पश्चात् किए गए, उस धारा में निर्दिष्ट प्रकार के किसी भी पंचाट के प्रयोजनों के लिए लागू होना है ।

[सं० फा० 18(6)/70—पी० एण्ड पी०]

ए० सी० बनर्जी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970